न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **146/17 (प्रा0पत्र)**

अनवान्

1. श्री गोपाल पिता नानालाल माली निवासी गुडली तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नानालाल पिता भेरा माली निवासी गुडली तह. मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 14.11.2017

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तह. मावली में **''परिशिष्ट अ''** में वर्णित आराजी नम्बर 547, 568, 569, 2292, 2295, 2501, 2513, 2514 किता 8 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। **''परिशिष्ट ब''** में वर्णित आराजी नम्बर 2296 रकबा 11 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। **''परिशिष्ट स''** में वर्णित आराजी नम्बर 2379 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं।
2. पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं।

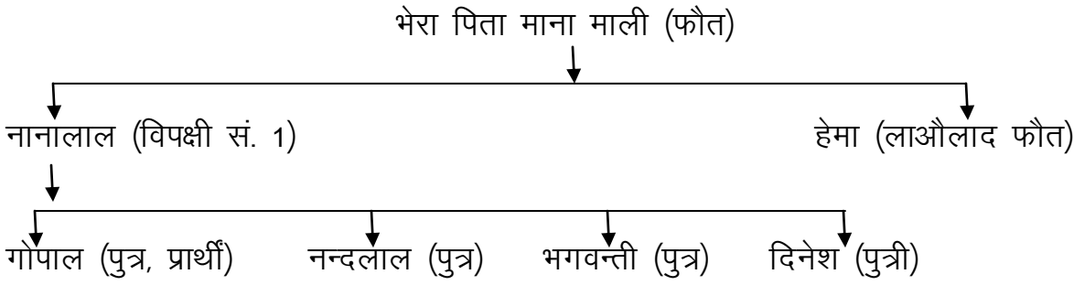

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में मुझ प्रार्थी के दादा व विपक्षी सं. 1 के पिता भेरा पिता माना के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और भेरा पिता माना के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र विपक्षी सं. 1 नानालाल एवं हेमा के नाम पर

अंकित हुई। जो मुझ प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चूका है और उक्त भूमियों में अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हिस्सा भूमियों में अपने हिस्से की जमीन पर मै प्रार्थी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर मुझ प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है एवं विपक्षी सं. 1 भी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज है अर्थात् विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं प्रार्थी अपने 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से उक्त वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाहते है जबकि विपक्षी सं. 1 को उक्त भूमि में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। इसलिए मै प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने नाम 1/5 हिस्सा भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।
5. मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गया हैं लेकिन उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को मेरे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाह रहा है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और विपक्षी सं. 1 ने दिनांक 30.8.17 को मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि को मै बेच कर रहूंगा और तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगें। इसलिए मै प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करें, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखें। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजत पंजीयन करानें हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 2 पंजीयन नही करें न विपक्षीयां सं. 3, 4 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के

आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 2 से 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।

7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से प्रतिवादी सं. 1 भूमि को बेचने पर आमादा होने से उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं जमाबन्दी से स्पष्ट है कि विपक्षी सं. 1 वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता होने से विपक्षी वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग हेतु स्वंतत्र हैं। विपक्षी सं0 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी सं. 1 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण भी विपक्षीगण के पक्ष में साबित हुआ हैं। विपक्षी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी विपक्षी के पक्ष में हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी वर्णित भूमि का खातेदार हैं। प्रार्थी विपक्षी सं. 1 का पुत्र हैं। विपक्षी सं. 1 HUF का कर्ता होने से उसे वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी सं. 1 को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में संभव नहीं होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वर्तमान में खातेदार विपक्षी सं. 1 है एवं खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाता उचित नहीं हैं। भूमि पैतृक होने से वादी के खातेदार अधिकार संबंधी अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली